[2022] 1 एस. सी. आर. 913

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया

वी.

एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2022 की सिविल अपील संख्या 08)

3 जनवरी, 2022

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

भारतीय रिजर्व बैंक, 1934: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियाँ -

आयोजित किया गयाः आर. बी. आई. के पास वित्तीय संस्थानों पर व्यापक पर्यवेक्षी शक्तियाँ हैं।

- सार्वजनिक हित के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी भी बैंकिंग संस्थान को कोई भी निर्देश जारी करने और प्रत्येक एनबीएफसी के संचालन की निगरानी करने का अधिकार है-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - s.35A।

भारतीय रिजर्व बैंक, 1934: s.45K-अपने आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्राधिकरण

- आयोजित किया गयाः आर. बी. आई. द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश, अपनी प्रकृति से आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों की तरह ही बाध्यकारी और लागू करने योग्य है-प्रासंगिक निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आर. बी. आई. के पास न केवल उपचारात्मक शक्तियां हैं, बल्कि निवारक शक्तियां भी हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी कर सकते हैं कि प्रासंगिक आदेशों/निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881: एसएस। 8 और 9-'नियत समय पर धारक'-हस्तांतरणकर्ता पर एक दायित्व लगाया गया है

'नियत समय में धारक' माने जाने वाले वचन पत्र में कहा गया है कि नोटों को सद्भावना से प्राप्त किया जाना चाहिए था। धारक के शीर्षक के बारे में उचित सावधानी और सावधानी बरतें।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: एस. 34-आयोजितः एस के अनुसार। 34 सी. पी. सी., ब्याज का पुरस्कार एक विवेकाधीन अभ्यास है, जो न्यायसंगत है।

ब्याज पर विचार विभिन्न उद्देश्यों के लिए देय है जैसे कि प्रतिपूरक, दंडात्मक आदि।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आवश्यक पार्टी-आयोजितः तथ्यों पर, जब मुकदमे में एक दावा आर. बी. आई. द्वारा प्रतिबंध से संबंधित था, तो इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए मुकदमे में आर. बी.

आई. को शामिल करना आवश्यक था-वादी ने बचाव पक्ष के बावजूद अपने जोखिम पर ऐसा करने से इनकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धांत/सिद्धांतः डोमिनस लिटस का सिद्धांत-वादी डोमिनस लिटस है, और उसके खिलाफ राहत लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

किसी को भी।

सिद्धांत/सिद्धांतः छूट/स्वीकृति का सिद्धांत

प्रयोज्यता-आयोजितः वादी ने प्रतिवादी से भुगतान को अपने दावों के उचित निपटारे के रूप में स्वीकार किया-वादी द्वारा विरोध करने और जल्द से जल्द संभव स्तर पर ब्याज की मांग करने में विफलता, मौन स्वीकृति के बराबर है-तदनुसार, वादी को छूट/स्वीकृति के सिद्धांत को लागू करने के कई महीनों के बाद इस मांग को उठाने से रोक दिया जाता है।

सिद्धांत/सिद्धांतः रचनात्मक रेस जुडिकाटा का सिद्धांत-आयोजितः वादी के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उपार्जित हुआ, जब प्रतिवादी कथित रूप से विलंबित भुगतान पर समय पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा-चूंकि ऐसा दावा रिट अदालत में नहीं उठाया गया था, इसलिए वादी के बाद के मुकदमे को रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया है।

शब्द और वाक्यांशः शब्द "जनहित"-का अर्थ है -

आयोजित किया गयाः 'जनहित' शब्द की कोई कठोर परिभाषा नहीं है-इसे उस संदर्भ के संदर्भ में समझा और व्याख्या की जानी चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है-अवधारणा का अर्थ उस क़ानून से प्राप्त होता है जहां इसका उपयोग किया जाता है। घटित होता है, लेन-देन शामिल होता है, समाज की स्थिति और इसकी आवश्यकताएँ।

एस. आई. डी. बी. आई. की अपील को स्वीकार करते हुए और एस. आई. बी. सी. ओ. की प्रति अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़नाः 1. भारतीय रिज़र्व बैंक का 09.06.1997 संचार

' सलाह 'या' निर्देशात्मक ':

1.1 अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं। वित्तीय संस्थान, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, देश के सभी बैंकिंग संस्थानों पर भारतीय रिज़र्व बैंक का व्यापक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है। [पैरा 8] [934-ए-बी]

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (2020)

10 एस. सी. सी. 274-पर निर्भर।

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड।

1.2 आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के माध्यम से, आर. बी. आई. को प्रत्येक के संचालन को विनियमित करने और निगरानी करने का अधिकार है।

उन्हें जमा से संबंधित निर्देश दें। जबकि, धारा 45-एल के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय संस्थान से जानकारी मांगने और देश की ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए सामान्य शक्तियां प्रदान की जाती हैं। आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 की धारा 45-एम एन. बी. एफ. सी. पर एक दायित्व डालती है कि वे आर. बी. आई. द्वारा आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्रस्तुत करें और उनका पालन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIB के तहत दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के साथ। बैंकों के संबंध में रिजर्व बैंक को इसी तरह की शक्तियां दी गई हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949। [पैरा 8.1 और 8.2] [934-ई-एच]

1.3 एस. 45-आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 का एम. बी. आर. बी. आई. को अन्य बातों के साथ-साथ जमा की स्वीकृति और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा, जब वे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश का पालन करने में विफल रहती हैं या किसी भी वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

[पैरा 8.3] [935-ई]

1.4 आर. बी. आई. ने अपने दिनांक 09.06.1997 के संचार में एस. आई. बी. सी. ओ. को उनके खिलाफ शुरू की गई समापन कार्यवाही के बारे में सूचित किया है।

सी. आर. बी. कैपिटल और प्रतिवादी को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिभूतियों पर ब्याज के साथ अलग होने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत उपरोक्त प्रावधान किए गए हैं।

उल्लिखित संचार जारी किया गया था। इसने वादी को यह तर्क देने के लिए प्रोत्साहित किया है कि यह केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से एक 'सलाह' है, न कि एक

वैधानिक रूप से लागू करने योग्य निर्देश। [पैरा 8.5] [936-डी-एफ]

1.5 इस मामले में, पिछली अधिसूचना दिनांक 10.04.1997 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सी. आर. बी. कैपिटल (एक एन. बी. एफ. सी.) को इससे रोक दिया था।

प्रतिवादी को संबंध में किसी भी पैसे के साथ अलग होने से रोक दिया उक्त एन. बी. एफ. सी. द्वारा धारित प्रतिभूतियों के लिए। हालाँकि, [2022] 1 एस. सी. आर. की तारीख को।

यह लागू होता है क्योंकि शंकर लाल सराफ के शीर्षक पर एक स्पष्ट छाया थी। [पैरा 8.6] [936-एफ-एच] 1.6 वैधानिक प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'जनहित' के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकार प्राप्त हैं

किसी भी बैंकिंग संस्थान को कोई निर्देश जारी करना और एन. बी. एफ. सी. की संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना। 'जनहित' शब्द की कोई कठोर परिभाषा नहीं है। इसे उस संदर्भ के संदर्भ में समझना और व्याख्या करनी होगी जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अवधारणा का अर्थ उस क़ानून से प्राप्त होता है जहाँ यह होता है, इसमें शामिल लेन-देन, समाज की स्थिति और इसकी आवश्यकताएँ। [पैरा 8.7] [936-एच; 937-ए-बी]

बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन

अब्बास रिज़वी और अन्र। (2012) 13 एससीसी 61: [2012] 11

एस. सी. आर. 1032; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट

कं. लिमिटेड बनाम। भारतीय रिज़र्व बैंक (1992) 2 एस. सी. सी. 343: [1992] 1 एससीआर 406

पर भरोसा किया।

1.7 आर. बी. आई. के लिए किसी विशिष्ट का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

निर्देश जारी करने से पहले इसके वैधानिक परिणाम होने का प्रावधान। इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए कानून के तहत प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। आर. बी. आई. के निर्देशों में वैधानिक बल होता है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 दोनों के प्रावधानों से अधिकार एकत्र करना। आर. बी. आई. द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश, अपनी प्रकृति से आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों की तरह ही बाध्यकारी और लागू करने योग्य है। [पैरा 8.9 और 8.10] [938-बी-डी; 938-ई]

यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय एयर 1961 एससी 751: [1961] एससीआर 679; डी. के. वी प्रसाद राव बनाम सरकार ए. पी. ए. आई. आर. 1984 ए. पी. 75-निर्दिष्ट।

1.8 प्रासंगिक का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए

निर्देश, जैसा कि घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न केवल उपचारात्मक शक्तियाँ हैं, बल्कि निवारक शक्तियाँ भी हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ताकि बैंक किसी निर्देश के उल्लंघन की प्रतीक्षा कर सके और फिर अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सके। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी कर सकता है कि प्रासंगिक आदेश/निर्देश लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v हैं।

एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड।

प्रभावी ढंग से पालन किया गया। इस प्रकार, एस. एस. के तहत आर. बी. आई.। 45 - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के 35-ए के एमबी के पास 09 जून, 1997 को संचार जारी करने का आवश्यक अधिकार है। आर. बी. आई. द्वारा किसी भी सक्षम प्रावधान का उल्लेख करने में चूक, दिशा की प्रकृति और स्थिति को नहीं बदलता है। आर. बी. आई. द्वारा 'सार्वजनिक नीति' के आधारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गई थी

दिनांकित 10.04.1997 अधिसूचना जारी करने के लिए उचित। द.

अधिसूचना में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह सीआरबी कैपिटल के जमाकर्ताओं और लेनदारों के लाभ के लिए जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक ने

दिनांक 09.06.1997 का संचार वास्तव में एक निर्देश था, जिसमें उचित वैधानिक समर्थन था जिसका पता भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45-एमबी से लगाया जा सकता था।

अधिनियम के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35-ए। 09.06.1997 निर्देश पहले जारी की गई 10.04.1997 अधिसूचना को आगे बढ़ाने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जारी किया गया था

निश्चित रूप से प्रतिवादी पर बाध्यकारी है जो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है बैंकिंग संस्थान। [अनुच्छेद 8.13 और 8.14] [939-एफ-जी; 940-ए-डी]

भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। लिमिटेड (II) (1996) 1 एस. सी. सी. 642: [1996] 1 एस. सी. आर. 58; गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड़ लिमिटेड बनाम. भारत संघ (2006) 10

एस. सी. सी. 645 [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 437-निर्भर।

1.9 इस प्रकार स्थित, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना की वास्तविक स्थिति का प्रतिवादी के खिलाफ दावे पर प्रभाव पड़ेगा मुकदमा और बाद की कार्यवाही। वादी के पास हमेशा इसकी वैधता को चुनौती देने का विकल्प था लेकिन उन्होंने कभी विशेष रूप से ऐसा नहीं किया

सूट में उन लोगों को चुनौती दी। इसलिए, जब आर. बी. आई. अधिसूचना की वैधता चुनौती के दायरे में नहीं है, तो इसकी वैधता निर्धारित किए बिना मुकदमे में राहत नहीं दी जा सकती है। यह अपने आप में, डाल सकता है

हाथ में मुद्दे पर एक शांति। [पैरा 8.15] [940-डी-एफ]

मुकदमेबाजी, इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए। इस आधार पर बचाव पक्ष द्वारा निर्धारित किए जाने के बावजूद वादी ने अपने जोखिम पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। वादी विशिष्ट व्यक्ति है, और उन्हें किसी के खिलाफ राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। वादी को अनुमति नहीं दी जा सकती है अपने पूर्ववर्ती शंकर लाल सराफ के साथ समानता, जो [2022] 1 एस. सी. आर.

भारतीय रिज़र्व बैंक के 09.06.1997 के निर्देश के बावजूद जुलाई, 1997 में अर्जित ब्याज का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी ने यह समझाया है

शंकर लाल सराफ को भुगतान को स्पष्ट करके विचलन प्रतिवादी के आर. बी. आई. के निर्देश प्राप्त करने से पहले किया गया था। इसलिए, वादी इस कारण से अपने लिए किसी भी लाभ या अपने पूर्ववर्ती के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है। [पैरा 8.16 और 8.17] [940-एफ-एच]

2. शैडो ओवर शंकर लाल सराफ

स्थानांतरणः

2.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (2) से पता चलता है कि स्वैच्छिक समापन के अलावा अन्य समापन कार्यवाहियां याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से शुरू हुई हैं।

[पैरा 9.1] [941-डी-ई]

2.2 एस. एस. का एक संयुक्त पठन। 531 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (2) से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि

अनैच्छिक समापन में किसी कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ संपत्ति, धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए संदिग्ध वर्तनी समापन याचिका की प्रस्तुति से छह महीने पहले है। वर्तमान मामले में, बंद करने के लिए याचिका आर. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत की गई थी 22.05.1997 और निश्चित रूप से, शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण फरवरी, 1997 में निष्पादित किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी का प्रथम दृष्टया संदेह कि संदिग्ध कार्यकाल के दौरान स्थानांतरण को धोखाधड़ी माना जा सकता है, गलत नहीं है। [पैरा 9.2] [941-एच; 942-ए-बी]

आईडीबीआई बनाम आधिकारिक परिसमापक (2020) 15 एससीसी 517-आश्रित

पर।

2.3 प्रतिवादी द्वारा रखा गया संदेह संदिग्ध अवधि के दौरान होता है जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में समर्थित किया है।

दिनांक 09.01.2001, जहाँ रिट कोर्ट ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यह मुद्दा दिल्ली कंपनी कोर्ट में लंबित मुकदमे के दायरे में था। [पैरा 9.3] [942-डी]

2.4 उल्लेखनीय है कि शंकर लाल सराफ ने इसे स्वीकार किया है।

दिल्ली कंपनी अदालत में अपने आवेदन (सी. ए. 1380/1998) में कहा कि प्रतिवादी आर. बी. आई. की सलाह के तहत काम कर रहा था, जिसने बॉन्ड के हस्तांतरण को धोखाधड़ी माना। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v.

एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड।

13.03.2015 एक निष्कर्ष दर्ज किया कि शुरू में, भारतीय रिजर्व बैंक और आधिकारिक परिसमापक दोनों ने शंकर लाल सराफ के पक्ष में हस्तांतरण को निम्नलिखित शब्दों में धोखाधड़ी के रूप में मानाः - ..... एक समापन पर

22 मई, 1997 को याचिका दायर करने के बाद कंपनी न्यायालय ने एक पेशेवर परिसमापक नियुक्त किया। आर. बी. आई. ने जारी किया पत्र परिसमापक ने अधिनियम की धारा 531 के तहत धोखाधड़ी वरीयता के रूप में समान व्यवहार किया है क्योंकि बैंक विषय बांड के साथ सौदा नहीं करेगा। यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लेन-देन वास्तविक हैं और आधिकारिक परिसमापक के कहने पर धोखाधड़ी वरीयता के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि विषय बांड पर कुछ दावा किया गया था।

2.5 जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया है, निष्कर्ष संबंधित समय पर ऊपर उल्लिखित, चुनाव लड़ने वाले पक्ष द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है। [पैरा 9.5] [943-ए]

2.6 कंपनी ने इस मुद्दे पर छाया को दूर कर दिया था

अदालती फैसला (17.12.2004) जिसमें प्रतिवादी का दावा है कि शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण 'धोखाधड़ी' थी वरीयता ', अस्वीकार कर दी गई थी। महत्वपूर्ण रूप से इस निर्णय के तुरंत बाद

प्रतिवादी को सूचित किया गया था, प्रतिवादी द्वारा वादी को बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत भुगतान किया गया था। [पैरा 9.6] [943-बी]

2.7 इस मोड़ पर यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी न्यायालय के दिनांकित 17.12.2004 निर्णय की वैधता नहीं दी गई है।

किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती दी गई। इसलिए, निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और यह मुद्दा कि क्या शंकर लाल सराफ के मामले में स्थानांतरण किया गया है।

अनुग्रह धोखाधड़ी थी, इसलिए इसे रोक दिया जाता है। [पैरा 9.7] [943-सी]

2.8 यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की यह धारणा कि शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण वैध नहीं था भारतीय रिजर्व बैंक और आधिकारिक परिसमापक सहित कई लोगों द्वारा साझा की गई उचित राय। प्रतिवादी को आर. बी. आई. के निर्देश प्राप्त थे कि वह भुगतान में भाग न ले क्योंकि आधिकारिक परिसमापक ने लेनदेन को धोखाधड़ी के रूप में माना था। इसने स्पष्ट रूप से वादी के स्वामित्व पर बॉन्ड पर एक छाया डाल दी थी और इसके परिणाम वहाँ से आने चाहिए। [पैरा 9.8] [943-डी-ई] [2022] 1 एस. सी. आर.

3. भुगतान बोना के साथ भी

फिडे?

3.1 यह मानते हुए कि आर. बी. आई. के निर्देशों की अवहेलना की जा सकती है, बांड और उस पर उपार्जित ब्याज,

कंपनी अदालत में मुकदमेबाजी लंबित थी। प्रतिवादी ने सक्रिय रूप से आधिकारिक परिसमापक को आवेदन किया

3.2 वादी यह दिखाने में विफल रहा है कि प्रतिवादी ने बांड पर उपार्जित भुगतान को रोककर कोई अनुचित लाभ कैसे प्राप्त किया। बॉन्ड पर देय राशि को तुरंत 'अर्जित ब्याज' शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्रतिवादी द्वारा अपने व्यवसाय के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए, वादी का यह तर्क कि प्रतिवादी द्वारा भुगतान रोकने की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी, हमें स्वीकार्य नहीं है। [पैरा 10.1] [943-जी-एच; 944-ए] 3.3 वादी का यह भी तर्क है कि कंपनी अदालत के फैसले (17.12.2004) ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और प्रतिवादी को धोखाधड़ी का मुद्दा उठाने से रोक दिया गया है।

वरीयता। धोखाधड़ी वरीयता का मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और किसी ने भी कंपनी न्यायालय के फैसले को चुनौती देने और मुद्दे को फिर से आंदोलन करने की कोशिश नहीं की। अतः यह विवाद होगा

वादी के लिए कोई लाभ नहीं। [पैरा 10.2] [944-बी-सी]

4. बाध्य स्थिति और दायित्वः " अंदर रुकें

ड्यू कोर्स "। 4.1 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 8 वचन पत्र के 'धारक' को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो अपने नाम पर हकदार है।

उक्त नोट के अनुसार, नोट के कब्जे और देय राशि की वसूली के लिए। [पैरा 11]

यू. पोनप्पा मूथन सन्स, पालघाट बनाम कैथोलिक

सीरियन बैंक लिमिटेड और ओआरएस। (1991) 1 एससीसी 113: [1990]

1 पूरक। एस. सी. आर. 542 संदर्भित है।

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड।

4.2 वचन पत्रों के हस्तांतरणकर्ता पर एक दायित्व लगाया गया है, जिसे देय में 'धारक' माना जाएगा।

पाठ्यक्रम ', कि नोटों को अच्छे विश्वास में प्राप्त किया जाना चाहिए था; धारक के बारे में उचित देखभाल और सावधानी बरतने के बाद शीर्षक। वर्तमान मामले में, जबकि बांड/वचन पत्रों पर शंकर लाल सराफ (धारक) का अधिकार विवाद में नहीं है, लेकिन

शंकर लाल सराफ की होल्डिंग को कंपनी कोर्ट ने केवल 17.12.2004 पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन उक्त फैसले से पहले, उनके शीर्षक पर एक बादल था। नतीजतन, वादी की स्थिति 'नियत समय में धारक' के रूप में प्रासंगिक समय पर संदिग्ध थी।

[पैरा 11.2] [945-सी-डी]

4.3 इसलिए प्रतिवादी बैंक को उचित ठहराया गया था

कंपनी अदालत में विवाद के समापन तक भुगतान को रोकना, भले ही दावा की गई राहत एक 'बिना शर्त उपक्रम' के संबंध में थी, क्योंकि इस तरह के भुगतान करने के लिए संदिग्ध कार्यकाल के दौरान लेनदेन के लिए उचित कानूनी चिंताएं थीं। [पैरा 11.3] [945-ई]

5. रद्द किए जाने पर रुचि के लिए भोजन

ब्याज का भुगतान और भुगतान करें।

5.1 प्रतिवादी को उपार्जित बकाया को रोकने में उचित ठहराया गया था। एस. आई. डी. बी. आई. के कार्य ईमानदारी से किए गए थे।

आर. बी. आई. के निर्देश, जो जनहित में जारी किए गए थे। क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले में। बनाम एस. ई. बी. आई., यह अदालत बोल रही है

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के माध्यम से कहा गया कि ब्याज देने से पहले दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। पहला, उस धन को सही मालिकों से गलत तरीके से रोका जाना चाहिए; दूसरा, कि उक्त ब्याज देने के लिए न्यायसंगत विचार होने चाहिए। हाथ में मामले में, इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं पाई जाती है। [पैरा 12] [945-एफ-एच]

क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम SEBI (2004) 8 SCC 524

: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 843-संदर्भित।

5.2 सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) की धारा 34 के अनुसार, ब्याज का पुरस्कार एक विवेकाधीन अभ्यास है, जो न्यायसंगत विचारों में डूबा हुआ है। ब्याज विभिन्न उद्देश्यों जैसे प्रतिपूरक, दंडात्मक आदि के लिए देय है, लेकिन ये [2022] 1 एस. सी. आर. में स्थितियां नहीं हैं।

हाथ में मामला। यहाँ सबसे पहले, प्रतिवादी को भुगतान रोकने में उचित ठहराया गया था, क्योंकि वे ऐसा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के तहत थे।

इसलिए; दूसरा, प्रतिवादी ने अपने कार्य से कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया है और; तीसरा, अदालत द्वारा अधिकारों के निपटारे पर वादी को तुरंत देय भुगतान किया गया था। इसके अलावा, संबंधित लेनदेन "संदिग्ध अवधि" के दौरान हुए थे। इससे पता चलता है कि प्रतिवादी ने ईमानदारी से काम किया और बकाया राशि जमा करने में उनकी ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई। [पैरा 12.1] [946-ए-सी]

5.3 वादी ने निचली अदालत में लंबित ब्याज के लिए प्रार्थना की, लेकिन न तो निचली अदालत ने इस संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया और न ही कोई तर्क दर्ज किया गया। इससे पता चलता है कि

वादी द्वारा दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, अपील ज्ञापन में इस बात का कोई आधार नहीं है कि इस तरह का मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए था। अतः, यह स्पष्ट है कि वादी लंबित ब्याज के अपने दावे पर गंभीर नहीं है। मुद्दे को तदनुसार शांत किया जाता है।

[पैरा 12.2] [946-सी-डी]

6. क्या प्लेन्टिफ की माँग रास्ते/शांति से बाधित थी?

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जब भुगतान किया जाता है

वादी द्वारा वारंट प्राप्त किए गए थे, इसने हस्तलिखित टिप्पणी 'प्राप्त' द्वारा वारंट को समाप्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि पहली बार में, बकाया राशि का भुगतान करते समय प्रतिवादी द्वारा अत्यधिक टीडीएस कटौती के संदर्भ में ही विरोध किया गया था। की मांग देरी से भुगतान पर ब्याज 7 महीने बीतने के बाद बढ़ाया गया था, जब एस. आई. बी. सी. ओ. की पुस्तकों का कथित रूप से लेखा-परीक्षण किया गया था। यह

औचित्य उचित नहीं लगता है। वास्तव में, जैसा कि इस निर्णय में पहले कहा गया है, वादी अपनी रिट याचिका में भी विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की मांग करने का हकदार था। लेकिन एस. आई. बी. सी. ओ. हर स्तर पर इस मांग को उठाने में लगातार विफल रहा है, जिसमें निविदा द्वारा दी गई राशि को स्वीकार करने का चरण भी शामिल है।

प्रतिवादी, बिना किसी विरोध के। इसलिए, यह स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिवादी से भुगतान को अपने दावों के उचित निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया। एस. आई. बी. सी. ओ. द्वारा जल्द से जल्द संभव स्तर पर विरोध और ब्याज की मांग करने में विफलता, उप-मौन के बराबर थी।

स्वीकृति। तदनुसार, वादी को छूट/स्वीकृति के सिद्धांत को लागू करने के कई महीनों के बाद इस मांग को उठाने से रोक दिया जाता है। [पैरा 13,13.1] [946-ई-एच; 947-ए] लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया बनाम।

एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड।

7. एक-दूसरे से बंधा सूट

कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि रचनात्मक बचाव न्यायिकता का सिद्धांत भी वादी के दावे की भरपाई करेगा। विशेष रूप से,

पूर्व बॉन्ड धारक शंकर लाल सराफ संभवतः कंपनी न्यायालय के समक्ष विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास सी. आर. बी. कैपिटल के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही से असंबंधित दावों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। लेकिन, उत्तराधिकारी बॉन्ड धारक यानी वादी रिट अदालत से विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा कर सकता था। एसआईबीसीओ की प्रस्तुति है

यह स्वीकार्य नहीं है कि कार्रवाई का कारण केवल 23.11.2005 पर उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी ने विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। वादी के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उपार्जित हुआ, जब प्रतिवादी कथित रूप से समय पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। चूँकि ऐसा दावा रिट अदालत में नहीं उठाया गया था, इसलिए एस. आई. बी. सी. ओ. का बाद का मुकदमा इस सिद्धांत द्वारा वर्जित है -

रचनात्मक रेस जुडिकाटा। [पैरा 14] [947-बी-डी]

8.1 यह स्पष्ट है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास व्यापक पर्यवेक्षी शक्तियाँ हैं

एस. आई. डी. बी. आई. जैसे वित्तीय संस्थानों पर, जिनके आगे बढ़ने में, आर. बी. आई. द्वारा जारी कोई भी निर्देश, आर. बी. आई. अधिनियम या बैंकिंग विनियमन अधिनियम से शक्ति प्राप्त करना प्रतिवादी पर सांविधिक रूप से बाध्यकारी है। माना जा सकता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांकित अधिसूचना जारी की थी

10.04.1997 , भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एमबी (2) से शक्ति प्राप्त करना।

और सी. आर. बी. पूँजी के जमाकर्ता। [पैरा 15] [947-ई-एफ] 8.2 आर. बी. आई. ने प्रतिवादी को अपने दिनांक 09.06.1997 के निर्देश में किसी भी प्रावधान का हवाला नहीं दिया, क्योंकि यह किसी भी मजबूरी में नहीं था।

ऐसा करने के लिए। यह पर्याप्त था कि इस तरह का निर्देश जारी करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति का पता या तो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एमबी (2) या बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35-ए से लगाया जा सकता था। इसलिए, उक्त निर्देश प्रतिवादी पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी था। उक्त कार्रवाई के बिना, आई. डी. 1 की अधिसूचना टूथलेस हो जाती, जिससे सी. आर. बी. कैपिटल के लेनदारों और जमाकर्ताओं को अपूरणीय नुकसान होता। दिनांकित 09.06.1997 के निर्देश के संदर्भ में, प्रतिवादी ने सक्रिय रूप से [2022] 1 एस. सी. आर. से सलाह मांगी।

परिसमापक की सहमति और मार्गदर्शन, प्रतिवादी अपने लिए भारी परिणाम आमंत्रित किए बिना भुगतान नहीं कर सकता था। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने वादी को इस तरह के भुगतान को रोकने के लिए कानूनी दायित्व के प्रति सचेत होकर विवेकपूर्ण तरीके से काम किया। [पैरा 15.1] [947-एफ-एच; 948-ए-बी] 8.3 इसके अलावा, उसी अधिनियम की धारा 441 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 के संदर्भ में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वादी के पूर्ववर्ती के शीर्षक पर संदेह था।

आर. बी. आई. के साथ-साथ आधिकारिक परिसमापक द्वारा साझा किया गया था। कंपनी अदालत के फैसले के तुरंत बाद (17.12.2004) , इस स्थिति को स्पष्ट किया कि वादी संबंधित लेन-देन के लिए स्पष्ट था, प्रतिवादी ने उक्त आदेश का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने भुगतान रोकने में ईमानदारी से काम किया।

[पैरा 15.2] [948-बी-डी]

निर्देश; II) मुद्दा दिल्ली कंपनी अदालत में चल रहे मुकदमे से संबंधित है; III) "संदिग्ध वर्तनी" के दौरान लेन-देन किए गए बांड/वचन पत्रों पर प्रतिवादी के अधिकार से संबंधित चिंताएं और इन परेशान करने वाले तत्वों को दूर नहीं किया जा सकता है। एक तरफ प्रासंगिक नहीं है। इसलिए हमारा विचार है कि भले ही भुगतान की मांग आगे बढ़ाने के लिए की गई थी

बॉन्ड में बिना शर्त वचन देते हुए, प्रतिवादी कंपनी कोर्ट के दिनांक 17.12.2004 के आदेश तक इसका हकदार नहीं था। [पैरा 15.3] [948-डी-एफ] 8.5 शंकर लाल सराफ के साथ बॉन्ड का वादी का लेन-देन इस अदालत के अनुमान में सही नहीं लगता है, क्योंकि खरीद "संदिग्ध वर्तनी" के दौरान की जा रही है और उस अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक और अदालत द्वारा समवर्ती खतरे की घंटी बजाई जा रही है। जब एस. आई. बी. सी. ओ. ने अपने लेन-देन को मान्य करने के लिए रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वे विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए कोई दावा करने में विफल रहे।

दिलचस्प बात यह है कि लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया बनाम. एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड।

वादी ने सीधे कंपनी न्यायालय का रुख नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय इस मुद्दे पर एक अनुकूल निर्णय प्राप्त करने के लिए शंकर लाल सराफ पर भरोसा किया। उन्होंने विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के लिए उत्पन्न होने वाले पहले अवसर को भी छोड़ने का फैसला किया, जब प्रतिवादी कंपनी अदालत के फैसले का पालन करते हुए वादी को देय राशि भेज रहा था। बिना किसी विरोध के भुगतान स्वीकार कर लिया गया और लगभग 7 महीने के बाद ही बांड पर अतिरिक्त राशि की मांग की गई। इन सभी परेशान करने वाले कारकों के बावजूद, वादी ने, शैलक के शेक्सपियर के चरित्र की तरह, यह मांग उठाई है कि "मुझे अपना बंधन मिलेगा। मेरे बंधन के खिलाफ मत बोलो। जैसा कि हम स्थिति को देखते हैं, बॉन्ड के धारक को उनका 'मांस का पाउंड' मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे और अधिक चाहते हैं। हमारे अनुमान में अतिरिक्त राशि योग्य नहीं है क्योंकि एस. आई. बी. सी. ओ. को पहले ही उनकी उचित पात्रता प्राप्त हो चुकी है और प्रतिवादी पर ब्याज के लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का बोझ प्रतिवादी से रक्त के शैलकियन निष्कर्षण के समान होगा। इसलिए इस निर्णय के पैराग्राफ 3 में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर वादी के खिलाफ तदनुसार दिया जाता है। [पैरा 15.4] [948-एफ-एच; 949-ए-बी]

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक (2010) 10 एससीसी 1: [2010] 12 एससीआर 644; सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम। भारत का केंद्रीय ब्यूरो

(1992) 2 एससीसी 343: [1992] 1 एससीआर 406; भगवती प्रसाद पवन कुमार बनाम। भारत संघ (2006) 5 एससीसी

311 [2006] 2 पूरक। एस. सी. आर. 975-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 12 एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

[1992] 1 एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.1

[2006] 2 पूरक। एससीआर 975

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.3

(2020) 10 एस. सी. सी. 274

पर भरोसा किया।

पैरा 8

[2012] 11 एससीआर 1032

पर भरोसा किया।

पैरा 8.7

[1992] 1 एससीआर 406

पर भरोसा किया।

पैरा 8.8

[1961] एससीआर 679

संदर्भित किया गया।

पैरा 8.10

ए. आई. आर. 1984 ए. पी. 75

संदर्भित किया गया है

पैरा

8.10 [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1996] 1 एससीआर 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.12

[2006] 5 पूरक। एससीआर 437

पर भरोसा किया।

पैरा 8.13

(2020) 15 एस. सी. सी. 517

पैरा 9.2

संदर्भित किया गया है

[1990] 1 पूरक। एससीआर 542

संदर्भित किया गया है

पैरा 11.1

[2004] 3 पूरक। एससीआर 843

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8

2022 .

उच्च न्यायालय के 25.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के ए. पी. डी. No.291 में कलकत्ता से।

के साथ 2022

की सिविल अपील संख्या 9।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री उत्तरा बब्बर, निकी कांतावाला,

मनन बंसल, एम. जी. अरविंद राज, राहुल सांगवान, सब्यसाची चौधरी, रउफ रहीम, राजर्षि दत्ता, अली असगर रहीम, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों में फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दिनांक 25.11.2019, जिसके द्वारा एकल न्यायाधीश का निर्णय मुकदमे को खारिज करता है अर्थात मेसर्स की सी. एस. सं. 79/2006। एस. आई. बी. सी. ओ. इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में एस. आई. बी. सी. ओ.)

उल्टा हुआ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस. आई. डी. बी. आई.) के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था जिसमें एस. आई. डी. बी. आई. द्वारा जारी बांडों के लिए वादी को मूल राशि और अर्जित ब्याज के कथित विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग की गई थी।

3. इस मामले में इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या वादी

प्रतिवादी द्वारा जारी बांड के आधार पर एक न्यायसंगत दावा किया है या यह शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में उस मुकदमे का मामला है जहाँ शायलक वादी द्वारा खरीदे गए बॉन्ड पर विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में वादा किए गए पाउंड का दावा कर रहा है। इस मामले से संबंधित 41 बॉन्ड शुरू में सिडबी द्वारा मेसर्स को जारी किए गए थे। सी. आर. बी. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (इसके बाद "सी. आर. बी. कैपिटल" के रूप में संदर्भित)

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

1993 में। उन बॉन्डों को तब सी. आर. बी. कैपिटल द्वारा फरवरी, 1997 में शंकर लाल सराफ को बेच दिया गया था और फिर उन्हें एस. आई. बी. सी. ओ.-वादी और प्रतिवादी को बेच दिया गया था। इस बीच, सी. आर. बी. कैपिटल को दिल्ली उच्च न्यायालय में आर. बी. आई. के कहने पर समापन कार्यवाही का सामना करना पड़ा। उक्त कार्यवाही का इस पर असर पड़ेगा।

मामला।

4. इस अपील पर विचार करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित प्रासंगिक तथ्यों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से मोटे तौर पर निकाला गया हैः

4.1 वादी एस. आई. बी. सी. ओ. ने प्रतिवादी एस. आई. डी. बी. आई. द्वारा जारी वचन पत्रों के रूप में बांड खरीदे। इन्हें सिडबी बॉन्ड 2003 (चौथी श्रृंखला) कहा जाता है, जिसमें 1 जुलाई, 1998 को एक शंकर लाल सराफ से 13.50% ब्याज मिलता है और सिडबी बॉन्ड 2004 (5 वीं श्रृंखला) 12.50% की दर से ब्याज उत्पन्न करता है। ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर हर साल जून के 21 वें दिन या उससे पहले और दिसंबर के 21 वें दिन किया जाता है। पांचवीं श्रृंखला के बांडों को भुनाने पर सहमति बनी।

21 दिसंबर, 2004 से जबकि चौथी श्रृंखला के बॉन्ड को 21 दिसंबर, 2003 को भुनाया जाना था। बांड बाजार में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने योग्य हैं। एम/एस। एस. आई. बी. सी. ओ. ने 10 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 15 बॉन्ड (देय ब्याज @13.50%) और 26 बॉन्ड (देय ब्याज @12.50%) खरीदे। 3.69 1 जुलाई, 1998 को मेसर्स द्वारा रु। उक्त शंकर लाल सराफ से एस. आई. बी. सी. ओ। बांड मेसर्स के पास जमा किए गए थे।

एस. आई. डी. बी. आई. (प्रतिवादी) ने 2 जुलाई, 1998 को वादी के नाम का समर्थन करने के अनुरोध के साथ-उक्त बॉन्ड पर खरीदार। प्रतिवादी द्वारा एस. आई. बी. सी. ओ. का नाम इस आधार पर दर्ज करने और/या दर्ज करने से इनकार करने पर कि सी. आर. बी. कैपिटल में अनैच्छिक परिसमापन कार्यवाही में चला गया था

आरबीआइ का उदाहरण। सबसे पहले वादी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 का डब्ल्यू. पी. सं. 1456 दायर किया जिसमें प्रतिवादी पर वादी के पक्ष में उपरोक्त बॉन्ड स्थानांतरित करने और भुगतान करने का आदेश देने की मांग की गई।

उन पर अर्जित ब्याज।

4.2 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 09.01.2001 पर अभिनिर्धारित किया कि रिट न्यायालय उचित मंच नहीं है और याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने की अनुमति दी।

कंपनी न्यायालय, दिल्ली में उच्च न्यायालय होने के नाते, में हस्तक्षेप की मांग कर रहा है

सी. आर. बी. कैपिटल के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही शुरू की गई। हालांकि उक्त आदेश के खिलाफ एक अंतर-अदालत अपील को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया गया था। वादी के अनुरोध पर, शंकर लाल सराफ (वादी के पूर्ववर्ती-हित में) ने कंपनी-न्यायालय के समक्ष लंबित परिसमापन कार्यवाही में एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि [2022] 1 एस. सी. आर.

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उपरोक्त लेनदेन को परिसमापन कार्यवाही के दायरे से बाहर माना जाना चाहिए।

4.3 17 दिसंबर, 2004 के एक फैसले में, लर्नड कंपनी कोर्ट ने कहा कि विषय बांड परिसमापन कार्यवाही के दायरे से बाहर हैं और शंकर लाल सराफ को मामले को प्रतिवादी के सामने रखने का निर्देश दिया। 17 फरवरी, 2005 को उपरोक्त निर्णय कंपनी न्यायालय को सूचित किया गया और प्रतिवादी को बांड प्रस्तुत किए गए। फिर 21 फरवरी, 2005 को प्रतिवादी ने टी. डी. एस. के साथ मेसर्स एस. आई. बी. सी. ओ. को उक्त बॉन्ड में किए गए वादे के अनुसार, तारीख तक गणना किए गए ब्याज के साथ मूल राशि का भुगतान किया।

लगभग 20 प्रतिशत की कटौती। 24 फरवरी, 2005 के एक पत्र द्वारा, वादी ने उस दर पर आपत्ति जताई जिस पर टीडीएस काटा गया था, जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि उसने एक और वारंट जारी किया था

रुपये की राशि को कवर करना। 58,86,833 / - अतिरिक्त टी. डी. एस. कटौती के कारण।

4.4 सी. एस. सं. 79/2006 में वाद में प्रस्तावित मामला यह था कि प्रतिवादी को अपने लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि ब्याज था

31 अक्टूबर, 2005 तक की गणना की गई थी और 10 नवंबर, 2005 के एक पत्र के माध्यम से मूलधन राशि और बांड पर ब्याज के विलंबित भुगतान पर ब्याज के कारण मांग की गई थी। प्रतिवादी ने 23 नवंबर, 2005 के अपने उत्तर पत्र में वादी द्वारा की गई मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इनकार से नाराज, मेसर्स एस. आई. बी. सी. ओ. ने रुपये की राशि के लिए सी. एस. नंबर 79/2006 दाखिल किया। 3,25,54,483 / - मेसर्स सिडबी से।

4.5 प्रतिवादी ने विलंबित भुगतान या दूसरे शब्दों में, उपरोक्त बांडों के विलंबित मोचन के कारण दावे पर विवाद किया। यह स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि सी. आर. बी. कैपिटल के खिलाफ परिसमापन की कार्यवाही शुरू की गई थी, जो एक समय पर उपरोक्त बॉन्ड के धारक थे और उन्होंने इसे 20 फरवरी, 1997 और 7 अप्रैल, 1997 को उक्त शंकर लाल सराफ को बेच दिया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 जून, 1997 को एक प्रतिकृति जारी की जिसमें प्रतिवादी को दिल्ली में कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करने, किसी भी ग्रहणाधिकार को पंजीकृत करने या अन्यथा सी. आर. बी. कैपिटल और उसकी समूह कंपनियों द्वारा निवेश की गई ऐसी प्रतिभूति से निपटने की सलाह दी गई। शंकर लाल सराफ के रूप में

जबकि वादी उक्त बॉन्ड पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, प्रतिवादी द्वारा 23 दिसंबर, 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक से 29 जनवरी, 1998 को मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सलाह लेने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। आर. बी. आई. ने प्रतिवादी को आधिकारिक परिसमापक के साथ मामले को उठाने की सलाह दी जो तदनुसार 3 अप्रैल, 1998 को किया गया था।

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

4.6 प्रतिवादी ने कहा कि 18 जुलाई, 2001 तक कई बार याद दिलाने के बावजूद इस संबंध में आधिकारिक परिसमापक से कोई जवाब नहीं मिला। विशिष्ट स्थिति यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण,

प्रतिवादी आर. बी. आई. के निर्देशों की अवहेलना में कार्य नहीं कर सका। यह आगे कहा गया है कि रिट याचिका के लंबित होने के कारण

कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मामले को नहीं उठाया गया और इसलिए न तो ब्याज का भुगतान किया गया और न ही मोचन का। प्रतिवादी के अनुसार, परिसमापन कार्यवाही में कंपनी अदालत के आदेश के बाद, वादी का नाम उक्त बांड पर रखा गया था और धारक को भुगतान किया गया था मूलधन के साथ-साथ मोचन की तारीख तक का ब्याज। इस प्रकार वादी को बांड का सम्मान करने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई अड़चन, लापरवाही और देरी नहीं है।

4.7 वादी द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय मामला यह था कि मूलधन और ब्याज दोनों राशि का भुगतान परिपक्वता अवधि से आगे किया गया था और,

इसलिए, प्रतिवादी विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वादी के अनुसार, प्रतिवादी ने अनुचित रूप से उक्त राशि को रोक लिया है, जबकि, प्रतिवादी का कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंध और प्रतिबंध और लंबित कार्यवाही के कारण, परिपक्वता

परिपक्वता की तारीख को राशि का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 जून, 1997 को जारी की गई प्रतिकृति पर भरोसा जताया था।

I. ट्रायल कोर्ट फाइंडिंग

5. विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि किसी भी हस्तांतरण को प्रभावित करने, किसी भी ग्रहणाधिकार को पंजीकृत करने के खिलाफ एक स्पष्ट शर्त है या

अन्यथा, सी. आर. बी. पूंजी की प्रतिभूतियों के साथ आगे की शर्त के साथ व्यवहार करें कि इसे आधिकारिक परिसमापक की अनुमति के बिना ब्याज, लाभांश या मूलधन के साथ भाग नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह प्रतीत होता है कि 10 अप्रैल 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-एमबी के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें उक्त कंपनी को उक्त अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अपने किसी भी लाभ और संपत्ति के साथ किसी भी तरह से बिक्री, हस्तांतरण, शुल्क या बंधक या सौदा नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति 22 मई को की गई थी।

1997 जिन्होंने बाद में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 के तहत बॉन्ड विषय को धोखाधड़ी पसंद के रूप में माना। यद्यपि कंपनी न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के अपने निर्णय के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लेन-देन वास्तविक हैं और आधिकारिक परिसमापक के कहने पर धोखाधड़ी वरीयता के रूप में घोषित नहीं किए जा सकते हैं, तथ्य यह है कि बांड विषय पर कुछ दावा किया गया था।

5.1 आर. बी. आई. को कुछ स्थितियों में बैंकिंग कंपनी के प्रबंधन को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है और यह निर्धारित कर सकता है कि

बैंकिंग कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अग्रिमों के मामले में बैंकिंग कंपनियों को व्यवसाय का विस्तार करने और चुकता पूंजी, आरक्षित निधि, नकद निधि और सभी नीतियों को विनियमित करने में सक्षम बनाने वाले मापदंड और

संसाधनों का आवंटन आदि। आर. बी. आई. को संसद द्वारा नीति को लागू करने और ऐसे निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है जिनके पास वैधानिक बल है, जैसा कि आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड के मामले में माना गया है। बनाम एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक 'उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में, निचली अदालत ने सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम भारतीय केंद्रीय ब्यूरो 2 के अनुपात पर भी भरोसा किया ताकि बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक भूमिका पर टिप्पणी की जा सके।

5.2 इससे पता चलता है कि एक बार जब भारतीय रिज़र्व बैंक निर्देश जारी कर देता है, तो इसके विपरीत कोई भी कार्रवाई न केवल नागरिक दायित्व को आकर्षित कर सकती है, बल्कि विश्वास के आपराधिक उल्लंघन को भी आमंत्रित कर सकती है। निचली अदालत के अनुसार प्रतिवादी आर. बी. आई. के निर्देश प्राप्त करने के बाद सो नहीं रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने सलाह मांगी और उसे आधिकारिक परिसमापक से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। प्रतिवादियों ने आधिकारिक परिसमापक से स्पष्टीकरण मांगा लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अंततः 17 दिसंबर, 2004 को कंपनी-न्यायालय के समक्ष शंकर लाल सराफ का आवेदन सफल रहा और थोड़े ही समय के भीतर वादी को ब्याज के साथ मोचन मूल्य का भुगतान कर दिया गया। विद्वत विचारण न्यायाधीश वादी के इस कथन से सहमत नहीं थे कि प्रतिवादी द्वारा परिपक्वता राशि के भुगतान में देरी करने का कोई जानबूझकर प्रयास किया गया था। यह ध्यान देने योग्य होगा कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के गवाह पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए भरोसा किया कि अर्जित ब्याज अर्जित ब्याज शीर्ष को हस्तांतरित किया गया था और इसलिए, इसका उपयोग नहीं किया गया था और न ही इससे कोई लाभ लिया गया था।

5.3 जैसा कि देखा जा सकता है, मुकदमे को मुख्य रूप से दो पर खारिज कर दिया गया था

आधारः -

(ए) विचाराधीन बांड याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरित नहीं किए जा सके क्योंकि आर. बी. आई. ने सी. आर. बी. कैपिटल के खिलाफ समापन कार्यवाही शुरू की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने याचिकाकर्ता को दिनांक 9.6.1997 पर एक निर्देश जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि वह विचाराधीन सी. आर. बी. कैपिटल के बॉन्ड के हस्तांतरण को पंजीकृत न करे, या संबंधित किसी भी भुगतान के साथ भाग न ले। 1 1 (2010) 10 एससीसी 1. 2 (1992) 2 एससीसी 343।

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

आधिकारिक परिसमापक की सहमति के बिना उक्त बॉन्ड को। इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि याचिकाकर्ता ने आधिकारिक परिसमापक से अनुमति का अनुरोध करके पूरी तरह से भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार काम किया था, और इस तरह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किए जाने के बाद बांड के तहत बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया था, जहां समापन की कार्यवाही चल रही थी। इसलिए, विलंबित भुगतान के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(बी) विद्वत विचारण न्यायाधीश ने वादियों के आचरण पर भी ध्यान दिया, जिसमें बांड के तहत ब्याज सहित भुगतान को बिना ब्याज के स्वीकार किया गया था। फरवरी, 2005 में कोई भी विरोध। इसके बाद वादी इस पर सो गया।

लगभग 8 महीनों के लिए जारी किया गया, और पहली बार अक्टूबर 2005 में विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का दावा किया गया। इसलिए अदालत ने पाया कि चूंकि

वादी ने भगवती प्रसाद पवन कुमार बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का विरोध किए बिना नकदीकरण स्वीकार कर लिया था। भारत संघ 3 लागू होगा, क्योंकि आचरण द्वारा स्वीकृति थी। भगवती प्रसाद (उपर्युक्त) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः -

" 19. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक प्रस्ताव आचरण द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन आचरण केवल स्वीकृति के बराबर होगा यदि यह स्पष्ट है कि प्रस्तावकर्ता ने प्रस्ताव को स्वीकार करने के इरादे (वास्तविक या स्पष्ट) के साथ कार्य किया था। जो निर्णय हमने ऊपर देखा है, वह भी इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ता है। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अदालतें यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की जांच करती हैं कि क्या मामले के तथ्य और परिस्थितियों में "प्रस्तावक" का आचरण इस तरह का था

मामले से पता चलता है कि सूचित करने में कोई आरक्षण नहीं था आचरण द्वारा स्वीकृति। दूसरी ओर, यदि साक्ष्य से पता चलता है कि "प्रस्तावकर्ता" को प्रस्ताव स्वीकार करने में आपत्ति थी, तो उसका आचरण प्रस्ताव की स्वीकृति के बराबर नहीं हो सकता है।

अनुबंध अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में "।

II. अपील न्यायालय की प्रक्रियाएँः

एपीडी 291/2015 के रूप में क्रमांकित। 25 नवंबर 2019 को, द लर्नड डिवीजन बेंच ने वादी की अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी के पक्ष में फैसले को दरकिनार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपील में कहा कि,

3 3 (2006) 5 एससीसी 311।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9 जून 1997 के भारतीय रिज़र्व बैंक के संचार के बाद भी, प्रतिवादी ने जून, 1997 में वादी के पूर्ववर्ती शंकर लाल सराफ़ को ब्याज में उपार्जित ब्याज का भुगतान किया था। अदालत ने प्रतिवादी द्वारा 23 दिसंबर 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक को जारी एक पत्र पर भरोसा किया, जिसमें प्रतिवादी ने कहा था कि

उन्होंने स्वीकार किया था कि भुगतान को हमेशा के लिए रोकना असंभव था। इन टिप्पणियों के आधार पर, विद्वत खंड पीठ ने कहा कि 9 जून, 1997 का आर. बी. आई. का संचार केवल प्रतिवादी के लिए एक सुझाव था, न कि आर. बी. आई. द्वारा अपने वैधानिक का प्रयोग करते हुए पारित आदेश। प्राधिकरण। इसलिए, प्रतिवादी बिना किसी उचित कारण के था, जब उसने प्रतिवादी को विधिवत उपार्जित भुगतान को रोकने का विकल्प चुना।

6.1 तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद को सहमति या संतुष्टि से वर्जित नहीं किया गया था क्योंकि वादी ने कोई स्वीकृति नहीं दी थी कि सभी

भुगतान वारंट प्राप्त करने के समय दावे संतुष्ट थे 21 सेंट फरवरी 2005। इसलिए, वादी विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग सहित आगे की मांग करने के लिए स्वतंत्र था। विद्वान खंड पीठ ने आगे कहा कि भगवती प्रसाद (सुप्रा) पर निर्भरता

विचारण न्यायाधीश द्वारा गलत स्थान दिया गया था क्योंकि इसे दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत नहीं किया गया था और पक्षों को इसका खंडन करने का मौका दिए बिना उस पर भरोसा किया गया था। तदनुसार प्रतिवादी को प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

उपार्जित होने की तारीख से ब्याज और 29.02.2020 द्वारा संबंधित बॉन्ड की परिपक्वता की तारीख से मूल राशि पर प्रति वर्ष 8 प्रतिशत सरल ब्याज।

III. चर्चा और निर्णयः

7. वर्तमान अपीलें कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उपरोक्त फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं। अभियुक्त माँग करता है डिवीजन बेंच के फैसले को पूरी तरह से दरकिनार करने में राहत। जबकि, वादी ब्याज के ऊपर और उससे अधिक लंबित ब्याज की मांग करता है।

पहले से ही दिया जा चुका है, और ब्याज और मूलधन राशि पर लर्नड डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए ब्याज की दर पर विवाद कर रहा है। 7.1 कलकत्ता उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के फैसले की वैधता पर जोर देते हुए, श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ

प्रतिवादी के वकील निम्नलिखित तर्क देते हैंः

सिडबी ने पूरी तरह से जारी निर्देशों के अनुसार काम किया

(1)

आर. बी. आई. द्वारा, जैसा कि कोई भी विवेकपूर्ण वित्तीय संस्थान करेगा;

((ख)

विचाराधीन बॉन्ड के तहत भुगतान को रोकना, था

सी. आर. बी. कैपिटल द्वारा बॉन्डों के हस्तांतरण की संभावना के आलोक में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 के तहत एक धोखाधड़ी प्राथमिकता होने के कारण उचित ठहराया गया; न्यूट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया v.

एम/एस। ओ निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

एस. आई. बी. सी. ओ. ने ब्याज की दो किश्तों के अर्जित होने की जानकारी के साथ 'संदिग्ध वर्तनी' में विचाराधीन बांड खरीदे।

और भुगतान नहीं किया गया; यह स्थापित नहीं किया गया है कि वह "नियत समय में धारक" है; इसके शीर्षक पर एक बादल है;

याचिकाकर्ता ने आर. बी. आई./आधिकारिक परिसमापक को कई पत्रों को प्राथमिकता देकर सक्रिय रूप से काम किया; राशि को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

गलत तरीके से रोक दिया गया;

न तो सराफ और न ही एस. आई. बी. सी. ओ. ने देरी के लिए ब्याज का दावा किया।

पिछले मुकदमे में बांड के तहत ब्याज या परिपक्वता राशि का भुगतान; रचनात्मक अदालत द्वारा वर्जित;

किए गए भुगतान उत्तरदाता द्वारा स्वीकार किए गए थे

विरोध और सहमति और संतुष्टि के लिए राशि; ब्याज के लिए प्रत्यर्थी/एस. आई. बी. सी. ओ. का दावा एक स्पष्ट विचार के बाद है, और किसी भी स्थिति में, उचित नहीं है;

इसके विपरीत, श्री सब्यसाची चौधरी, विद्वान वरिष्ठ वकील जी वादी (प्रतिवादी) का तर्क है किः

आर. बी. आई. ने केवल एक सलाह जारी की जो सी. आर. बी. कैपिटल द्वारा धारित परिसंपत्तियों से संबंधित थी और विचाराधीन बांडों के लिए लागू नहीं थी, जो सलाह जारी होने पर वादी के स्वामित्व में थे।

एस. आई. डी. बी. आई. की आशंका पर भुगतान रोकने की कार्रवाई

मेसर्स द्वारा धोखाधड़ी पसंद का। आधिकारिक परिसमापक द्वारा किसी भी आपत्ति के अभाव में सी. आर. बी. कैपिटल प्रामाणिक नहीं था।

एस. आई. डी. बी. आई. को न्यायाधीशों द्वारा धोखाधड़ी की प्राथमिकता पर बहस करने से रोक दिया गया है, क्योंकि इस मुद्दे का निपटारा कंपनी अदालत के 17 दिसंबर, 2004 के फैसले द्वारा किया गया है।

भुगतान वचन पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, जो बिना शर्त उपक्रम हैं, न कि किसी पारस्परिक वादे के अनुसरण में। इस प्रकार, 'सहमति और संतुष्टि' का मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है।

वादी ने लगातार ब्याज लंबित होने का दावा किया है

मुकदमे के साथ-साथ अपीलीय स्तर पर भी।

बी. आई. का 09.06.1997 संचार-'सलाह' या

वी. ई. ':

आर. बी. आई. संचार के प्रभाव का पता लगाने के लिए, वैधानिक [2022] 1 एस. सी. आर. की जांच करना फायदेमंद होगा।

प्रावधान जो आर. बी. आई. को सशक्त बनाते हैं। इसके कुशल निर्वहन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को विभिन्न वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, हम पाते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास व्यापक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है

देश के सभी बैंकिंग संस्थानों में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आर. बी. आई. 1 के मामले में न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमणियन के माध्यम से बोलते हुए इस अदालत ने वित्तीय/मौद्रिक क्षेत्र में अपार शक्ति के साथ एक वैधानिक निकाय के रूप में आर. बी. आई. की स्थिति पर स्पष्ट कियाः

" 190. लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की योजना को देखते हुए, उपरोक्त तर्क प्रकट होता है। केवल आर. बी. आई. की भूमिका को कम करने के लिए। आर. बी. आई. विधायिका के एक अधिनियम द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य वैधानिक निकाय की तरह नहीं है। यह एक प्राणी है, जिसे एक जनादेश के साथ बनाया गया है कि वह इससे भी मुक्त हो जाए।

निर्माता। इसलिए, आर. बी. आई. को किसी अन्य वैधानिक निकाय के बराबर नहीं माना जा सकता है जो केवल अपने स्वामी की सेवा करता है। यह विशेष रूप से केंद्र सरकार को छोड़कर कुछ चीजें करने के लिए सशक्त है। इसलिए, अपने निर्णयों को एक कार्यकारी निर्णय से भी नीचे रखने के लिए,

अधिनियम की योजना के साथ हिंसा करें "।

8.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रत्येक गैर-भारतीय के आचरण को विनियमित करने और उसकी निगरानी करने का अधिकार है।

भारत में बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी)। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-जे. ए. के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक को सार्वजनिक हित में या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने या देश की वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने, नीति निर्धारित करने और एन. बी. एफ. सी. को निर्देश जारी करने का अधिकार है। धारा 45-के भारतीय रिज़र्व बैंक को एन. बी. एफ. सी. से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उन्हें जमा से संबंधित निर्देश देने का अधिकार देता है। जबकि, धारा 45-एल के तहत, सूचना मांगने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को सामान्य शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय संस्थान से और देश की ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करना। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एम एन. बी. एफ. सी. पर एक दायित्व डालती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्रस्तुत करें और भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्याय III बी के तहत दिए गए निर्देश का पालन करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम। 8.2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसी तरह की शक्तियां दी गई हैं। हाथ में मामले में, हम हैं

4 (2020) 10 एससीसी 274।

आई. ए. एल. उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया V. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35-ए के साथ जो

बैंकिंग कंपनियों को निर्देश देने के लिए रिजर्व बैंकः -

" 35 ए. निर्देश देने के लिए रिजर्व बैंक की शक्तिः

(1) जहाँ रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि

((क) लोक हित में; या ((क) बैंकिंग नीति के हित में; या

(ख) किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से या जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकना।

बैंकिंग कंपनी; या

(ग) आम तौर पर किसी भी बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए, आम तौर पर बैंकिंग कंपनियों या विशेष रूप से किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करना आवश्यक है, वह समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो उसे उचित लगे और बैंकिंग कंपनियां या बैंकिंग कंपनी, जैसा भी मामला हो, इसका पालन करने के लिए बाध्य होगी।

इस तरह के निर्देशों के साथ।

8.3 आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 की धारा एस. 45-एम. बी. उपरोक्त संदर्भ में प्रासंगिक है जो आर. बी. आई. को अन्य बातों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा करने और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, जब वे आर. बी. आई. के निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं या किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं।

कोरी प्रावधान, तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिए गए अनुसार निकाले गए हैं:

" 45 एमबी. जमा की स्वीकृति को प्रतिबंधित करने की बैंक की शक्ति और

परिसंपत्तियों का हस्तांतरणः (1) यदि कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इसका उल्लंघन करती है

किसी भी धारा के प्रावधान या किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल

या के किसी भी प्रावधान के तहत बैंक द्वारा दिया गया आदेश

इस अध्याय में, बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को कोई भी जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर सकता है।

(2) इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

कोई समझौता या लिखत या तत्काल लागू कोई कानून, बैंक, यह संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में या जमाकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निर्देश दे सकता है, जिसके खिलाफ जमा स्वीकार करने से निषेध करने वाला आदेश जारी किया गया है, [2022] 1 एस. सी. आर.

किसी भी क्षेत्र में बिक्री, हस्तांतरण, शुल्क या बंधक या सौदा नहीं करना।

छह से अधिक की अवधि के लिए बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपनी संपत्ति और परिसंपत्तियों के साथ

आदेश की तारीख से महीने। '

8.4 इस मोड़ पर, प्रतिवादी को संबोधित दिनांक 09.06.1997 के RBI संचार के सटीक शब्दों को निकालना उचित है:

" हम समझते हैं कि एम/एस। सी. आर. बी. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और उसके सहयोगियों ने आपके संस्थान के शेयरों/बांडों/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त कंपनी को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय, दिल्ली में एक याचिका दायर की है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप किसी भी हस्तांतरण को प्रभावित न करें, किसी ग्रहणाधिकार को पंजीकृत न करें, या अन्यथा ऐसी प्रतिभूतियों के साथ सौदा न करें और ब्याज/लाभांश या मूलधन को आधिकारिक परिसमापक की अनुमति के बिना न दें।

दिल्ली उच्च न्यायालय। कृपया अपने साथ कंपनी/कंपनियों द्वारा रखे गए निवेश की राशि की पुष्टि करें और सलाह दें।

संस्था। " 8.5
जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने संचार में कहा है -

एस. आई. बी. सी. ओ. को सी. आर. बी. कैपिटल के खिलाफ शुरू की गई समापन कार्यवाही के बारे में सूचित किया और प्रतिवादी को प्रतिभूतियों पर ब्याज के साथ अलग होने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत उपरोक्त संचार जारी किया गया था। इसने वादी के लिए विद्वान वकील को यह तर्क देने के लिए प्रोत्साहित किया है कि यह केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से एक 'सलाह' है, न कि वैधानिक रूप से लागू करने योग्य निर्देश।

8.6 इस मामले में, पिछली अधिसूचना दिनांक 10.04.1997 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सी. आर. बी. कैपिटल (एक एन. बी. एफ. सी.) को अलग करने से रोक दिया।

या 'लोक हित' में उनकी परिसंपत्तियों पर आरोप लगाने के लिए, और दिनांक 09.06.1997 के परिणामी निर्देश के माध्यम से प्रतिवादी को उक्त प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी धन के साथ भाग लेने से रोक दिया गया है।

एनबीएफसी। भले ही, दिनांक आई. डी. 1 की निषेधात्मक अधिसूचना की तारीख को, बांड शंकर लाल सराफ के स्वामित्व में थे, और सी. आर. बी. कैपिटल के स्वामित्व में नहीं थे, अधिसूचना और दिनांक आई. डी. 2 का बाद का निर्देश अभी भी लागू था क्योंकि शंकर लाल सराफ के शीर्षक पर एक स्पष्ट छाया थी। 8.7 ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों के एक संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 'जनहित' के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v.

एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

किसी भी बैंकिंग संस्थान को कोई निर्देश जारी करना और एन. बी. एफ. सी. की संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना। 'जनहित' शब्द की कोई कठोर परिभाषा नहीं है। इसे उस संदर्भ के संदर्भ में समझना और व्याख्या करनी होगी जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अवधारणा का अर्थ उस क़ानून से प्राप्त होता है जहाँ यह होता है, इसमें शामिल लेन-देन, समाज की स्थिति और इसकी आवश्यकताएँ। 3 न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए विस्तृत जानकारी दी।

जिसका अर्थ है 'जनहित', बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35-ए के संदर्भ में:

" 176 ..... जैसा कि हमने कहीं और संकेत दिया है, शक्ति के तहत

ब्याज इन सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। 8.8 पर वैधानिक प्रावधानों का विज्ञापन करने में चूक पर

जिस आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की, हम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के अनुपात से मार्गदर्शन ले सकते हैं। बनाम आर. बी. आई. जहाँ इस अदालत ने न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल के माध्यम से बोलते हुए कहा कि:

" 71. यह एक स्थापित कानून है कि जब तक कानून के लिए शक्ति का पता लगाया जा सकता है, तब तक प्रावधान का पाठ करने में केवल चूक विधानमंडल या नियम बनाने वाले प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति को कम नहीं करती है, और न ही कानून के अधिकार के बिना विचार किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ई) एक वैधानिक अनुमान लगाती है कि आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं और प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने पर संतोषजनक रूप से पहुंचे जाते हैं। धारा 45-एल के तहत प्रस्तावना में वस्तुनिष्ठ संतुष्टि की पुनरावृत्ति का अभाव उन शक्तियों को अस्वीकार नहीं करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास धारा 45-एल के तहत कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए हैं।

हालाँकि धारा 45-एल को न तो स्पष्ट रूप से कहा गया था और न ही आवश्यक के निर्देशों की प्रस्तावना में उल्लिखित

5 बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और अन्र। ; (2012) 13 एससीसी 61. 6 4 पर सुप्रा।

7 (1992) 2 एससीसी 343।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जारी करने के लिए वस्तुनिष्ठ तथ्यों की संतुष्टि का पाठ

तथ्यों और परिस्थितियों के निर्देशों से यह प्रदर्शित होता है कि जब निर्देश जारी किए गए थे, तब भारतीय रिज़र्व बैंक को धारा 45-एल के तहत अपनी शक्तियों पर विचार करने में इतनी संतुष्टि थी। अन्यथा भी धारा 45-के (3) स्वयं निर्देशों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। (जोर दिया गया)

8.9 उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि, आर. बी. आई. के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह निर्देश जारी करने से पहले किसी विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करे।

वैधानिक परिणाम। इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए कानून के तहत प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

8.10 प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारे अनुमान में अपनी दलील में सही कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों में वैधानिक बल है,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 दोनों के प्रावधानों से अधिकार एकत्र करना। पीयरलेस जनरल फाइनेंस में (I) 8, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-के और धारा 45-एल के संदर्भ में इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल के माध्यम से बोलते हुए, यू. पी. राज्य पर भरोसा किया।

बनाम बाबू राम उपाध्याय 'और डी. के. वी. प्रसाद राव बनाम A.P.10 की सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि RBI द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं - निगमित किया गया और अधिनियम का एक हिस्सा बन गया और इसलिए इसे क़ानून के समान सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मामले में इस अदालत ने इस विचार की पुष्टि की।

(सुप्रा)। इसलिए, यह निर्विवाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों की तरह ही बाध्यकारी और लागू करने योग्य है

अपनी प्रकृति से।

8.11 सुधीर शांतिलाल मेहता (सुप्रा) मामले में, न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 35-ए के तहत कार्रवाई के निहितार्थ और विधायिका के इरादे की व्याख्या करते हुए सही कहा कि उक्त प्रावधान के तहत निर्देश बैंकिंग कंपनियों पर बाध्यकारी हैं:

" 57. धारा 36 (1) में निहित सक्षम प्रावधानों और बैंकिंग विनियमन की धारा 21 और 35-ए के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के बीच का अंतर। अधिनियम और रिजर्व की धारा 45-एल में निहित प्रावधान

8 आइबीआइडी। ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 751

10 ए. आई. आर. 1984 ए. पी. 75 11 सुप्रा 4 पर। 12 1 2 2 पर सुप्रा।

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

बैंक ऑफ इंडिया, 1934 बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट है। धारा 36 के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनियों को सावधान या प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन धारा 21 के संदर्भ में।

और 1949 के अधिनियम का 35-ए बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकता है।

58. क्या एक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी एक परिपत्र पत्र

यह बाध्यकारी होगा या नहीं या इसका कोई वैधानिक बल है या नहीं, यह क़ानून की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसके लिए

उक्त उद्देश्य, विधायिका का इरादा होना चाहिए
विचार किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण का प्रयोग किया, हम हैं

इस राय का कि उक्त परिपत्र पत्र बाध्यकारी था

बैंकिंग कंपनियाँ। यूको बैंक के अधिकारी थे,

इसलिए, उक्त परिपत्र पत्र से बंधे। (जोर दिया गया)

8.12 न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (II) 1 3 में इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को अपने आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी निर्देश जारी करने का अधिकार हैः

" 27. ..... विधियों को सक्षम बनाने के मामले में लागू सिद्धांत यह है कि यदि विधानमंडल कुछ करने के लिए सक्षम बनाता है, तो यह उसी समय, आवश्यक निहितार्थ से, वह सब कुछ करने की शक्ति देता है जो उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य के लिए अपरिहार्य है। (क्रेज़ ऑन देखें

क़ानून, 7 वीं संस्करण। पी। 258.) यह माना गया है कि शक्ति

किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाना कानून को प्रभावी बनाने के लिए सभी सहायक और आनुषंगिक शक्तियों को वहन करता है और

व्यवहार्य और चोरी को रोकने के लिए।

8.13 प्रासंगिक निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न केवल उपचारात्मक शक्तियां हैं, बल्कि यह भी है कि

निवारक शक्तियाँ, जैसा कि कुरुंदवाड़ लिमिटेड के गणेश बैंक में आयोजित की गई थीं। बनाम भारत संघ। 1 4 14 इसलिए, बैंक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी निर्देश के उल्लंघन की प्रतीक्षा करे और फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करे।

अपराधी। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी कर सकता है कि प्रासंगिक आदेशों/निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।

13 (1996) 1 एससीसी 642। 14 (2006) 10 एससीसी 645।

8.14 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, एस. एस. के तहत आर. बी. आई.। 45 - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के 35-ए

हमारी समझ के पास संचार जारी करने का आवश्यक अधिकार है।

दिनांक 09 जून, 1997। आर. बी. आई. द्वारा किसी भी सक्षम प्रावधान का उल्लेख करने से दिशा की प्रकृति और स्थिति नहीं बदलती है। उपरोक्त वैधानिक व्यवस्था और व्याख्या हमें यह मानने के लिए राजी करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'सार्वजनिक नीति' के आधार को आगे बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई दिनांकित अधिसूचना जारी करने के लिए उचित थी। अधिसूचना में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह सीआरबी कैपिटल के जमाकर्ताओं और लेनदारों के लाभ के लिए जारी किया गया है। आर. बी. आई. का दिनांक 09.06.1997 का संचार वास्तव में एक निर्देश था, जिसमें आर. बी. आई. अधिनियम की धारा 45-एम. बी. के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35-ए का उचित वैधानिक समर्थन था। इसलिए प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील है

यह कहने में सही है कि 09.06.1997 निर्देश जारी किया गया था, RBI द्वारा पहले जारी 10.04.1997 अधिसूचना को आगे बढ़ाने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। इस तरह से RBI की 09.06.1997 अधिसूचना निश्चित रूप से थी प्रतिवादी पर बाध्यकारी जो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बैंकिंग संस्थान है।

8.15 इस प्रकार स्थित, आर. बी. आई. अधिसूचना की वास्तविक स्थिति का मुकदमे में प्रतिवादी के खिलाफ दावे पर प्रभाव पड़ेगा और

इसकी वैधता। हमारी धारणा में यह अपने आप में इस मुद्दे पर एक शांति ला सकता है। 8.16 इसके अलावा, जब मुकदमे में दावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंध से संबंधित है, तो इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए मुकदमे में भारतीय रिज़र्व बैंक को शामिल करना आवश्यक था। वादी ने ऐसा करने में चूक की

इस आधार पर निर्धारित रक्षा के बावजूद उनका अपना जोखिम। यहाँ हमें यह देखने की आवश्यकता है कि वादी स्वतंत्र है, और उन्हें किसी के खिलाफ राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

8.17 हमारे अनुसार, वादी को अपने पूर्ववर्ती, शंकर लाल सराफ के साथ समानता नहीं दी जा सकती है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के 09.06.1997 के निर्देश के बावजूद जुलाई, 1997 में अर्जित ब्याज का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी ने यह स्पष्ट करते हुए इस विचलन को समझाया है कि भुगतान

आर. बी. आई. के निर्देश की प्रतिबादी को प्राप्ति से पहले शंकर लाल सराफ को भेजा गया था। इसलिए, वादी इस कारण से अपने लिए किसी भी लाभ या अपने पूर्ववर्ती के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है।

आई. ए. एल. उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

वी. शैडो ओवर शंकर शंकर लाल सराफ

एनसीएशनः

9. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 (संगत धारा।

और कंपनी अधिनियम, 2013 का 329) के लिए प्रासंगिक है

आयन निकाला जाता हैः

" 531. कपटपूर्ण वरीयताएँः

(1) संपत्ति का कोई हस्तांतरण, चल या अचल, वितरण माल, भुगतान, निष्पादन या संपत्ति से संबंधित अन्य अधिनियम

छह के भीतर किसी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया, लिया गया या किया गया

इसका समापन शुरू होने से कुछ महीने पहले, यदि यह किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ एक दिवाला याचिका, जिस पर उसे दिवालिया घोषित किया जाता है, की प्रस्तुति से तीन महीने के भीतर किया जाता, लिया जाता या किया जाता, तो यह माना जाएगा।

उसकी दिवालियापन में एक धोखाधड़ी पसंद, कंपनी के समाप्त होने की स्थिति में, एक धोखाधड़ी माना जाएगा।

इसके लेनदारों की वरीयता और तदनुसार अमान्य होना।

(जोर दिया गया)

9.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (2) से पता चलता है कि स्वैच्छिक समापन के अलावा अन्य समापन कार्यवाही याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से शुरू हुई है। त्वरित संदर्भ के लिए,

1 कंपनी अधिनियम, 1956 का निष्कर्ष यहाँ निकाला गया हैः

" 441. न्यायाधिकरण द्वारा समापन की शुरुआतः

(1) जहाँ, न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी को बंद करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने से पहले, एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

कंपनी द्वारा स्वैच्छिक समापन के लिए, कंपनी का समापन उस समय शुरू हुआ माना जाएगा।

प्रस्ताव पारित करने का, और जब तक कि न्यायाधिकरण, धोखाधड़ी या गलती के प्रमाण पर, अन्यथा निर्देश देना उचित नहीं समझता है, स्वैच्छिक समापन में की गई सभी कार्यवाहियां

वैध रूप से लिया गया माना जाता है।

(2) किसी भी अन्य मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी का समापन उस समय शुरू हुआ माना जाएगा जब

समापन के लिए याचिका की प्रस्तुति।

9.2 एस. एस. का एक संयुक्त पठन। 531 1956 की कंपनियों के 441 (2) और 441 (2) से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि द्वारा या उसके विरुद्ध संपत्ति का कोई हस्तांतरण

अनैच्छिक समापन में कंपनी, डीम्ड [2022] 1 एस. सी. आर. के लिए संदिग्ध वर्तनी।

धोखाधड़ी का लेन-देन समापन की प्रस्तुति से छह महीने पहले होता है।

याचिका दायर करें। वर्तमान मामले में, बंद करने की याचिका आर. बी. आई. द्वारा 22.05.1997 पर प्रस्तुत की गई थी और निश्चित रूप से, शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण फरवरी, 1997 में निष्पादित किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी का प्रथम दृष्टया संदेह कि संदिग्ध कार्यकाल के दौरान स्थानांतरण को धोखाधड़ी माना जा सकता है, गलत नहीं है। यहाँ यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि 2019 में, इस अदालत की एक खंडपीठ ने न्यायमूर्ति मोहन के माध्यम से बात की थी

आई. डी. बी. आई. बनाम आधिकारिक परिसमापक के मामले में शांतनगौदर ने स्पष्ट किया

कि एक लेन-देन को धोखाधड़ी वरीयता के रूप में योग्य होने के लिए दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता हैः पहला, किसी विशेष लेनदार को प्राथमिकता देने का कंपनी का प्रमुख उद्देश्य; दूसरा, समापन याचिका दायर करने से पहले छह महीने के भीतर हस्तांतरण निष्पादित किया गया। इसलिए धोखाधड़ी की प्राथमिकता का मुद्दा अब एकीकृत नहीं है, और इस मुद्दे पर आगे काम करना अनावश्यक है। 9.3 प्रतिवादी द्वारा आश्रय दिया गया संदेह संदिग्ध अवधि के दौरान होता है जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित आदेश में समर्थित है।

09.01.2001 , जहाँ रिट न्यायालय ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि यह मुद्दा दिल्ली कंपनी न्यायालय में लंबित मुकदमे के दायरे में था।

9.4 उल्लेखनीय है कि शंकर लाल सराफ ने दिल्ली कंपनी अदालत में अपने आवेदन (सीए 1380/1998) में स्वीकार किया है कि

प्रतिवादी आर. बी. आई. की सलाह के तहत काम कर रहा था, जिसने बॉन्ड के हस्तांतरण को धोखाधड़ी माना। इसके अतिरिक्त, कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 1 के फैसले में एक निष्कर्ष दर्ज किया कि शुरू में, भारतीय रिजर्व बैंक और आधिकारिक परिसमापक दोनों ने शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण को निम्नलिखित शब्दों में धोखाधड़ी मानाः

" ..... 22 मई, 1997 को दायर एक समापन याचिका पर, कंपनी न्यायालय ने एक पेशेवर परिसमापक नियुक्त किया। द.

आर. बी. आई. ने बैंक को एक पत्र जारी किया कि वह विषय बांड के साथ सौदा न करे क्योंकि परिसमापक ने इसे धोखाधड़ी के रूप में माना है।

अधिनियम की धारा 531 के तहत वरीयता।

यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लेन-देन वास्तविक हैं और आधिकारिक परिसमापक के कहने पर धोखाधड़ी वरीयता के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि

कुछ लोग विषय बांड पर दावा करते हैं।

1 5 (2020) 15 एस. सी. सी. 517।

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

9.5 जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया है, संबंधित समय पर ऊपर उल्लिखित निष्कर्ष का चुनाव लड़ने वाले पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया है।

9.6 कंपनी अदालत के फैसले (17.12.2004) ने इस मुद्दे पर संदेह को दूर कर दिया, जिसमें प्रतिवादी के इस दावे को खारिज कर दिया गया कि शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण 'धोखाधड़ी पसंद' था।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही इस निर्णय के बारे में प्रतिवादी को सूचित किया गया, प्रतिवादी द्वारा वादी को तुरंत भुगतान किया गया। हिचकिचाहट।

9.7 इस मोड़ पर यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी अदालत के दिनांकित 17.12.2004 के फैसले की वैधता को इसके द्वारा चुनौती नहीं दी गई है किसी भी पार्टी में। अतः निर्णय ने अंतिमता और मुद्दे को प्राप्त कर लिया है

क्या शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण धोखाधड़ी थी, इसलिए इस पर विराम लगा दिया जाता है।

9.8 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की धारणा है कि शंकर लाल सराफ के पक्ष में स्थानांतरण नहीं था वैध, एक उचित राय थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और आधिकारिक परिसमापक सहित कई लोगों ने साझा किया। प्रतिवादी को आर. बी. आई. की रसीद मिली थी।

भुगतान के साथ भाग नहीं लेने के निर्देश, क्योंकि आधिकारिक परिसमापक ने लेनदेन को धोखाधड़ी के रूप में माना था। इसने स्पष्ट रूप से वादी के स्वामित्व पर बॉन्ड पर एक छाया डाल दी थी और इसके परिणाम वहाँ से आने चाहिए।

VI. भुगतान बोना के साथ भी

फिडे?

10. विज्ञापन तर्क को मानते हुए, कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश हो सकते हैं

कंपनी अदालत के समक्ष लंबित विवाद से रिहा होने के बाद, प्रतिवादी ने तुरंत लर्नड कंपनी कोर्ट के आदेश का पालन किया। 10.1 वादी के लिए विद्वान वकील यह दिखाने में विफल रहा है कि प्रतिवादी ने भुगतान रोककर कोई अनुचित लाभ कैसे प्राप्त किया

बांडों पर उपार्जित। बॉन्ड पर देय राशि को तुरंत 'अर्जित ब्याज' शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका उपयोग [2022] 1 एस. सी. आर. द्वारा नहीं किया गया था।

उनके व्यवसाय के लिए प्रतिवादी। इसलिए, वादी का यह तर्क कि प्रतिवादी द्वारा भुगतान रोकने की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी, गलत नहीं है।

हम स्वीकार करते हैं।

धोखाधड़ी वरीयता के मुद्दे को उठाने से बचाव। धोखाधड़ी वरीयता का मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और किसी ने भी ऐसा करने की मांग नहीं की है कंपनी अदालत के फैसले को चुनौती दें और इस मुद्दे को फिर से उठाएं। अतः इस तर्क से वादी को कोई लाभ नहीं होगा।

VII. बाध्यकारी स्थिति और दायित्वः " होल्डर इन ड्यू

कोर्स ":

11. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 8 वचन पत्र के 'धारक' को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो अपने नाम पर उक्त नोट के अनुसार नोट रखने और देय राशि की वसूली का हकदार है। तैयार संदर्भ के लिए, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की प्रासंगिक धारा 9, जो 'नियत समय में धारक' को परिभाषित करती है, निम्नानुसार निकाली गई हैः

" 9. " नियत समय पर धारक "

" नियत समय में धारक का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो

विचार एक वचन पत्र, बिल का स्वामी बन गया

इसमें उल्लिखित राशि के देय होने से पहले और यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना कि व्यक्ति के स्वामित्व में कोई दोष मौजूद था, यदि वाहक को देय हो तो विनिमय या चेक का, या यदि आदेश के लिए देय हो तो उसका प्राप्तकर्ता या अधिग्राही

जिनसे उन्होंने अपनी उपाधि प्राप्त की। " "

11.1 यह अदालत यू. पोनप्पा मूथन संस के मामले में एक चेक के संदर्भ में न्यायमूर्ति के. जयचंद्र रेड्डी के माध्यम से बोल रही है, पालघाट बनाम कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड और अन्य। जोड़ते हुए

निम्नलिखित घोषित करने के लिए अंग्रेजी कानून में स्थिति के साथ 'नियत समय में धारक' पर भारतीय स्थितिः

" 17 ..... भारतीय कानून के तहत एक धारक को, नियत समय में धारक होने के लिए, न केवल वैध विचार के लिए बिल, चेक का नोट प्राप्त करना चाहिए, बल्कि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना चेक प्राप्त करना चाहिए कि कोई दोष है।

1 6 16 (1991) 1 एस. सी. सी 113।

लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

वह उस व्यक्ति की उपाधि में मौजूद था जिससे उसने अपनी उपाधि प्राप्त की थी। इस शर्त के लिए आवश्यक था कि वह सद्भावना और उचित सावधानी के साथ कार्य करे। हालांकि, केवल साबित करने में विफलता

उनकी ओर से ईमानदारी या लापरवाही की अनुपस्थिति उनके दावे को नकार नहीं पाएगी। लेकिन, किसी मामले में यह तय करना अदालत पर छोड़ दिया जाता है कि क्या धारक की ओर से लापरवाही इतनी बड़ी है। और यह
मानना असाधारण है कि उनके पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण था कि इस तरह की उपाधि दोषपूर्ण थी।

11.2 चेक के संदर्भ में ऊपर बताए गए सिद्धांतों को वचन पत्रों के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप एक दायित्व है

वचन पत्रों के हस्तांतरणकर्ता पर 'नियत समय में धारक' माने जाने के लिए यह अधिरोपित किया गया था कि नोटों को अच्छे विश्वास में प्राप्त किया जाना चाहिए था; इसके बारे में उचित सावधानी और सावधानी बरतने के बाद धारक का शीर्षक। वर्तमान मामले में, जबकि बांड/वचन पत्रों पर शंकर लाल सराफ (धारक) का अधिकार विवाद में नहीं है, लेकिन जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, शंकर लाल सराफ की हिस्सेदारी को कंपनी अदालत ने केवल आईडी1 पर ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन उक्त फैसले से पहले, उनके स्वामित्व पर संदेह था। नतीजतन, नियत समय में 'धारक' के रूप में वादी की स्थिति प्रासंगिक समय पर संदिग्ध थी।

11.3 इसलिए प्रतिवादी बैंक को रोक कर रखना उचित था।

कंपनी अदालत में विवाद के समापन तक भुगतान, भले ही दावा की गई राहत एक 'बिना शर्त उपक्रम' के संबंध में थी, क्योंकि इस तरह के भुगतान करने के लिए संदिग्ध कार्यकाल के दौरान लेनदेन के लिए उचित कानूनी चिंताएं थीं।

VIII. रद्द किए जाने पर रुचि के लिए भोजन

भुगतान और ब्याज सूची रुचिः

12. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि प्रतिवादी को उपार्जित बकाया को रोकने में उचित ठहराया गया था। सिडबी की कार्रवाइयाँ थीं

ईमानदारी से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए, जो जनहित में जारी किए गए थे। क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले में। बनाम एस. बी. आई. ", इस अदालत ने न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के माध्यम से बोलते हुए कहा कि ब्याज देने से पहले दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। पहला, उस धन को सही मालिकों से गलत तरीके से रोका जाना चाहिए; दूसरा, कि उक्त ब्याज देने के लिए न्यायसंगत विचार होने चाहिए। हाथ में मामले में, इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं पाई जाती है।

17 (2004) 8 एससीसी 524।

12.1 सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) की धारा 34 के अनुसार, ब्याज का पुरस्कार एक विवेकाधीन अभ्यास है, जो न्यायसंगत विचारों में डूबा हुआ है। ब्याज विभिन्न उद्देश्यों के लिए देय है जैसे कि प्रतिपूरक, दंडात्मक,

आदि लेकिन हमारे सामने के मामले में ये परिस्थितियाँ नहीं हैं। यहाँ सबसे पहले, प्रतिवादी को भुगतान रोकने में उचित ठहराया गया था, क्योंकि वे ऐसा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के तहत थे; दूसरा, प्रतिवादी ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है।

उनके कार्य से अनुचित लाभ और; तीसरा, देय भुगतान तुरंत किया गया था न्यायालय द्वारा अधिकारों के निपटारे पर वादी को। इसके अलावा, संबंधित लेनदेन "संदिग्ध अवधि" के दौरान हुए थे। यह हमारे

दृष्टिकोण से पता चलता है कि प्रतिवादी ने ईमानदारी से काम किया और बकाया भुगतान में उनकी ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई। 12.2 वादी ने निचली अदालत में लंबित ब्याज के लिए प्रार्थना की, लेकिन न तो निचली अदालत ने इस संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया और न ही कोई तर्क दर्ज किया गया। इससे पता चलता है कि इस तरह का दावा वादी द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, अपील ज्ञापन में इस बात का कोई आधार नहीं है कि इस तरह का मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए था। अतः, यह स्पष्ट है कि वादी लंबित ब्याज के अपने दावे पर गंभीर नहीं है। मुद्दे को तदनुसार शांत किया जाता है।

IX. प्लेन्टिफ की माँग रास्ते से बाधित थी /

सफलता? :

13. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि जब वादी को भुगतान वारंट प्राप्त हुए, तो उसने हस्तलिखित वारंट को समाप्त कर दिया।

टिप्पणी 'प्राप्त'। उल्लेखनीय रूप से, पहली बार में, विरोध केवल था

बकाया भुगतान करते समय प्रतिवादी द्वारा अत्यधिक टी. डी. एस. कटौती के संदर्भ में उठाया गया। विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग थी,

7 महीने बीतने के बाद उठाया गया, जब एस. आई. बी. सी. ओ. की पुस्तकों का कथित रूप से ऑडिट किया गया था। यह औचित्य उचित नहीं प्रतीत होता है। वास्तव में, जैसा कि इस निर्णय में पहले कहा गया है, वादी अपनी रिट याचिका में भी विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की मांग करने का हकदार था। लेकिन एस. आई. बी. सी. ओ. हर स्तर पर इस मांग को उठाने में लगातार विफल रहा है, जिसमें निविदा द्वारा दी गई राशि को स्वीकार करने का चरण भी शामिल है।

प्रतिवादी, बिना किसी विरोध के।

13.1 अतः यह स्पष्ट है कि वादी ने भुगतान स्वीकार कर लिया है।

प्रतिवादी से उसके दावों के उचित निपटान के रूप में। एस. आई. बी. सी. ओ. का विरोध करने और जल्द से जल्द संभव स्तर पर ब्याज की मांग करने में विफलता,

यह मौन स्वीकृति के बराबर था।

तदनुसार, वादी को लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v से प्रतिबंधित किया गया है। एम/एस। सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

छूट/स्वीकृति के सिद्धांत को लागू करने के कई महीनों के बाद इस मांग को उठाने से।

एक्स.

एक-दूसरे से बंधा सूट

कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? :

14. प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि रचनात्मक बचाव न्यायिकता का सिद्धांत भी वादी के दावे की भरपाई करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले बॉन्ड धारक शंकर लाल सराफ संभवतः कंपनी अदालत के समक्ष विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें ब्याज की कमी थी।

सी. आर. बी. कैपिटल के खिलाफ परिसमापन कार्यवाही से असंबंधित दावों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र। लेकिन, उत्तराधिकारी बॉन्ड धारक यानी वादी रिट अदालत से विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा कर सकता था। एस. आई. बी. सी. ओ. का निवेदन स्वीकार्य नहीं है कि कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ

केवल 23.11.2005 पर, जब प्रतिवादी ने विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। वादी के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उपार्जित हुआ, जब प्रतिवादी कथित रूप से समय पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। चूंकि इस तरह का दावा रिट अदालत में नहीं उठाया गया था, इसलिए हमारे विचार में एस. आई. बी. सी. ओ. का बाद का मुकदमा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

XI. निष्कर्षः

15. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आर. बी. आई. के पास एस. आई. डी. बी. आई. जैसे वित्तीय संस्थानों पर व्यापक पर्यवेक्षी शक्तियां हैं।

जिनमें से, आर. बी. आई. अधिनियम या बैंकिंग विनियमन अधिनियम से शक्ति प्राप्त करने वाला आर. बी. आई. द्वारा जारी कोई भी निर्देश प्रतिवादी पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी है। मान लीजिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एमबी (2) से शक्ति प्राप्त करने के लिए अधिसूचना दिनांक 10.04.1997 जारी की। इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीआरबी कैपिटल के लेनदारों और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक नीति के आधार पर सीआरबी कैपिटल की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया।

15.1 आर. बी. आई. ने प्रतिवादी को अपने दिनांकित 09.06.1997 के निर्देश में किसी भी प्रावधान का हवाला नहीं दिया, क्योंकि ऐसा करना किसी मजबूरी में नहीं था।

तो। यह पर्याप्त था कि इस तरह का निर्देश जारी करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति का पता या तो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एमबी (2) या बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35-ए से लगाया जा सकता था। इसलिए, उक्त निर्देश प्रतिवादी पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी था। उक्त निर्देश के बिना, आई. डी. 1 की अधिसूचना को टूथलेस कर दिया जाता, जिससे सी. आर. बी. कैपिटल के लेनदारों और जमाकर्ताओं को अपूरणीय नुकसान होता। दिनांक 09.06.1997 के निर्देश के संदर्भ में, प्रतिवादी ने

सक्रिय रूप से [2022] 1 एस. सी. आर. को ब्याज आय के भुगतान के संबंध में आधिकारिक परिसमापक से सलाह मांगी।

प्रतिवादी। लेकिन, आधिकारिक परिसमापक की सहमति और मार्गदर्शन के अभाव में, प्रतिवादी अपने लिए भारी परिणाम आमंत्रित किए बिना भुगतान नहीं कर सकता था। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी

कानूनी दायित्व के प्रति सचेत रहते हुए, वादी को इस तरह के भुगतान को रोकने के लिए समझदारी से कार्य किया।

15.2 इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 के संदर्भ में

उसी अधिनियम की धारा 441 (2) के साथ पढ़े जाने पर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वादी के पूर्ववर्ती के हित में शीर्षक पर संदेह था। वास्तव में, "संदिग्ध वर्तनी" के दौरान लेन-देन के साथ वादी का शीर्षक भी एक बादल के नीचे था। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि इस तरह का संदेह गलत नहीं था, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ आधिकारिक परिसमापक ने भी साझा किया था। कंपनी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय (17.12.2004) के माध्यम से इस स्थिति को स्पष्ट करने के तुरंत बाद कि वादी संबंधित लेनदेन के लिए स्पष्ट था, प्रतिवादी ने उक्त आदेश का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने भुगतान रोकने में ईमानदारी से काम किया।

15.3 समय पर भुगतान न करने के लिए जो तत्व प्रतिवादी पर भारी पड़ सकते थे, वे हैं: I) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन; II) दिल्ली कंपनी में चल रहे मुकदमे से संबंधित मुद्दा

न्यायालय; III) "संदिग्ध वर्तनी" के दौरान लेन-देन किए गए बांड/वचन पत्रों पर प्रतिवादी के अधिकार के बारे में चिंता और इन परेशान करने वाले तत्वों को प्रासंगिक नहीं होने के कारण दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा विचार है कि भले ही भुगतान की मांग आगे बढ़ाने के लिए की गई थी बॉन्ड में बिना शर्त वचन देते हुए, प्रतिवादी कंपनी कोर्ट के दिनांक 17.12.2004 के आदेश तक इसका हकदार नहीं था।

15.4 शंकर लाल सराफ के साथ बॉन्ड का वादी का लेन-देन इस अदालत के अनुमान में सही नहीं लगता है, क्योंकि खरीद "संदिग्ध वर्तनी" के दौरान की जा रही है और उस अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक और अदालत द्वारा चेतावनी की घंटी बजाई जा रही है। जब एस. आई. बी. सी. ओ. ने अपने लेन-देन को मान्य करने के लिए रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वे विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए कोई दावा करने में विफल रहे। दिलचस्प बात यह है कि वादी ने सीधे कंपनी अदालत से संपर्क नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय इस मुद्दे पर एक अनुकूल निर्णय हासिल करने के लिए शंकर लाल सराफ पर भरोसा किया। उन्होंने विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के लिए उत्पन्न होने वाले पहले अवसर को भी छोड़ना चुना, जब प्रतिवादी कंपनी अदालत के फैसले का पालन करते हुए वादी को देय राशि भेज रहा था। स्पष्ट रूप से भुगतान बिना विरोध के स्वीकार किया गया था और केवल लगभग 7 महीने के बाद, अतिरिक्त

बॉन्ड पर राशि की मांग की गई थी।

इन सभी परेशान करने वाले कारकों के बावजूद, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया v. एम/एस।

सिबको निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। [ऋषिकेश रॉय, जे।]

शैलक के शेक्सपियर के चरित्र की तरह, वादी ने यह मांग उठाई है कि "मैं अपना बंधन बनाऊंगा।" मेरे बंधन के खिलाफ मत बोलो। 18 जैसा कि हम स्थिति को देखते हैं, बॉन्ड के धारक को उनका 'मांस का पाउंड' मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे और अधिक चाहते हैं। हमारे अनुमान में अतिरिक्त राशि योग्य नहीं है क्योंकि एस. आई. बी. सी. ओ. को पहले ही उनकी उचित पात्रता प्राप्त हो चुकी है और प्रतिवादी पर ब्याज के लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का बोझ प्रतिवादी से रक्त के शैलकियन निष्कर्षण के समान होगा। इसलिए इस निर्णय के पैराग्राफ 3 में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर वादी के खिलाफ तदनुसार दिया जाता है।

अदालत। हालाँकि वादी की प्रति-अपील खारिज कर दी जाती है। 15.6 उपरोक्त आदेश से आने वाले सभी कानूनी परिणामों के साथ, अपीलों का निपटान बिना किसी आदेश के किया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।

18 अधिनियम 3 दृश्य 3-द मर्चेंट ऑफ वेनिस